

# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 6295 / अभिलेख / 2007

रायपुर, दिनांक 08/10/07

## आदेश

कार्यपालिका/वित्त समिति की बैठक दिनांक 29/09/07 में लिये गये निर्णयानुसार डुप्लीकेट अंकसूची/माईग्रेशन प्रमाण पत्र एवं संशोधन संबंधी शुल्क आदेश प्रसारण दिनांक से निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

स. क्र.	मद	वर्तमान में ली जाने वाली शुल्क	वृद्धि	वृद्धि के फलस्वरूप कुल ली जाने वाली शुल्क
1	डुप्लीकेट अंकसूची	70/-	30/-	100/-
2	माईग्रेशन	70/-	40/-	110/-
3	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र	40/-	40/-	80/-
4	संशोधन शुल्क (अंकसूची + प्रमाण पत्र)	50/-	50/-	100/-
5	डाक्यूमेंट अंग्रेजी अनुवाद शुल्क	25/-	25/-	50/-

सचिव 8/10/07  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर  
दिनांक 08/10/07

उ. 6296  
प्रतिलिपि :-

- 1 अध्यक्ष/सचिव महोदय के निजी सहायक, छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल, रायपुर ।
- 2 समस्त प्रथम श्रेणी, छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल, रायपुर ।
- 3 समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल, रायपुर ।
- 4 वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी, छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल, रायपुर ।
- 5 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल, बिलासपुर ।
- 6 आवासीय सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव 8/10/07  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर